न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 133 / 2023
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 10.07.2023 **निर्णय दिनांक** : 14.05.2024

अनवान

1. वसन्त कुमार सोनी पिता नारायण जाति सोनी निवासी आमेट तहसील आमेट, जिला राजसमंद

.............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

...............विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता धर्मेश शर्मा

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमिया ग्राम सरदारगढ़, पटवार हल्का सरदारगढ़, तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 395 व पुराना 304 के आराजी नम्बर 2098 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2099 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2100 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2101 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2102 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2103 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2104 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2105 रकबा 0.3600 हैक्टेयर,कुल किता 08 रकबा 1.8700 हैक्टेयर है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम वसन्त कुमार सोनी है, परंतु नामान्तरण के समय गलती से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी का नाम नन्दलाल अंकित हो गया, जबकि प्रार्थी ही उक्त कृषि भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड आदि सभी जगह नाम वसन्त कुमार सोनी नाम ही अंकित है। प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को परेशानी का सामना करना

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

पड़ रहा है। प्रार्थी ने अपने नाम को दुरस्त कराने हेतु विपक्षी तहसीलदार साहब के यहां निवेदन किया, किनतु इन्द्राज दुरसती नहीं की गई, जिससे मजबुर होकर प्रार्थी को आप श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र करना पड रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में काश्तकार के नाम की प्रविष्ठी में प्रार्थी का नाम नन्दलाल के बजाय वसन्त कुमार सोनी अंकित किया जाकर प्रार्थी के नाम को दुरस्त किए जाने का आदेश विपक्षी को प्रदान किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार आमेट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम सरदारगढ़ की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता सं. 395 किता 8 रकबा 1.87 है0 खातेदार सम्पतलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 जाति सुनार वगैरह के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है। खाता सं. 395 में वादी का नाम नन्दलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 जाति सुनार दर्ज होकर संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है। ग्राम सरदारगढ़ के नामा. संख्या 2745 स्वीकृत दिनांक 02.02.17 द्वारा मृतक नारायणलाल पुत्र मिठालाल सुनार की विरासत का नामा. दर्ज होकर स्वीकृत हुआ। जिसमें वारीसान के रूप में लक्ष्मीलाल, राजमल, नन्दलाल, शिवलाल, सम्पतलाल, बसन्तीदेवी, उषादेवी पिता नारायणलाल के नाम दर्ज हुए। जांच में जाहिर हुआ कि सन् 1980 से पूर्व वादी वसन्तकुमार ग्राम सरदारगढ़ में निवासरत थे। तत्कालीन समय में उन्हें नन्दलाल के नाम से जाना पहचाना जाता रहा है। सन् 2017 में वादी नगर आमेट में निवासरत है। मौतबीरानों एवं संयुक्त खातेदारों से जाहिर हुआ कि वादी को बचपन में नन्दलाल के नाम से जाना पहचाना जाता था। इसी कारण इनके पिता नारायण लाल के विरासत के नामा. के समय वारिसान के रूप में नन्दलाल नाम दर्ज हुआ। जांच में जाहिर हुआ कि नन्दलाल एवं वसन्तकुमार दोनों अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है और इनके पहचान दस्तावेजों अनुसार सही नाम वसन्त कुमार है। राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम नन्दलाल के बजाय वसन्त कुमार किए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। संयुक्त खातेदार सम्पतलाल (वादी के भाई) एवं ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार नन्दलाल और वसन्तकुमार दोनों एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि नन्दलाल एवं वसन्तकुमार दोनों अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड आदि सभी जगह नाम वसन्त कुमार सोनी नाम ही अंकित है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम सरदारगढ़, पटवार हल्का सरदारगढ़, तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 395 व पुराना 304 के आराजी नम्बर 2098 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2099 रकबा 0.

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2100 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2101 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2102 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2103 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2104 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2105 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, कुल किता 08 रकबा 1.8700 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम नन्दलाल को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वसन्त कुमार सोनी राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

(रक्षा पारीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

(रक्षा पारीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला-राजसमन्द